


प्रारूप - 13  
नियम 13(2) देखिये  
लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि खसरा सं. 213 , 500 राजस्व ग्राम किशनगढबास एवं खसरा सं. 244 राजस्व ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला अलवर मे स्थित भूमि या उसके भाग का 17 जून, 1999 से पूर्व/बाद की कालावधि से गैर-कृषिक प्रयोजनो के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग मे व्यक्तियों के अधिकार/हित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उप-धारा (8) के अधीन पर्यवसित किये जाने के दायी है।

अतः : उक्त भूमि में हित रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना का प्रकाशन कि दिनांक से 07 दिन के भीतर - भीतर कारण बताये कि क्यो न उक्त भूमि पर उसके अधिकारो और हित को पर्यवसित कर दिया जावें और इसलिये क्यो न भूमि को राज्य सरकार में समस्त विल्लगमों से मुक्त निहित किया जा सकें।

अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर और मौहर के अधीन 2021 (वर्ष) के 09 (मास) कि 04 दिन कि जारी की जाती है।



(महेश कुमार गुर्जर)

प्राधिकृत अधिकारी

नगरपालिका किशनगढबास